

सूचना

सभी वाहन चालकों को सूचित किया जाता है कि अगर उनके वाहन के निम्नलिखित पेपर्स वैध हैं तभी उनके वाहन को विद्यालय परिसर में लाने की अनुमति होगी ।

(a)	वैध परमिट
(b)	फिटनेस प्रमाण पत्र (वाहनों की आयु सीमा के अनुसार)
(c)	बीमा प्रमाण पत्र
(d)	प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र
(e)	ड्राइवर की विधिमान्य ड्राइविंग लाइसेन्स

जिस भी वाहन और वाहन चालक का पेपर अधूरा होगा उस वाहन को विद्यालय परिसर में तथा विद्यालय परिसर के आसपास भी लाने की अनुमति नहीं होगी ।


प्रधानाचार्य 25/8/25
PRINCIPAL
ST. PETER'S SCHOOL
CHHAJLAPUR, P.O. (I.T.I.)
RAEBARELI-229010 (U.P.)